MADHYA PRADESH INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CORPORATION.
(Government of Madhya Pr desh Undertaking)

Madhya Pradesh Industrial
Development Corporation

IIDC Plaza, 39-City Center, Gwalior – 474011 (M.P.)
Tel: 0751-2426614,2374506 Fax: 0751-2375145 Email:iidcgwalior@gmail.com website:iidcgwalior.com

10 निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो तो वांछित अनुमति प्रापत करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा ।

11 स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट कमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी ।

12 बहुआवासीय भवनो के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही निगम की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाईन से जोड़े तथा नगर निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू.) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये । बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा । तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम कमांक 73 के अनुरूप ही होगा ।

13 भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे । कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे । निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे ।

14 मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना होगी। अग्निशमन अनापत्ति आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी । अग्निशमन व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे । अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42(3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।

15 उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा तथा ठोस अपशिष्ट को तीन अलग–अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/ भूस्वामी/कॉलोनाईजर/ रहवासी की होगी ।

16 स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुऐ सार्वजनिक सुविधा जैसे जल–मल, विद्युत ड्रेनेज आदि का विकास नगर निगम की देखरेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।

17 भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देखरेख में करना होगा ।

18. शुल्कों की गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।

19. भवन निर्माण प्रदाय की गई स्वीकृति के अनुरूप ही कराएँ।

20. भूखण्ड की सीमा के सड़क के बीच खुली भूमि जहॉ पाइपलाइन एवं नाली निर्मित है पर किसी प्रकार का निर्माण अथवा पक्का चबूतरा आदि नहीं किया जाये, आवागमन हेतु निर्मित नाली पर स्लैब का निर्माण कर गेट तक तथा गेट की चौड़ाई के बराबर ही किया जाये अन्यथा किये गये निर्माण को हटवा दिया जाएगा जिसका हर्जाना एवं खर्चा इकाई से लिया जाएगा।